मु० नम्बर..............किस्म..................... ....उनवान..............

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

फर्द अहकाम

दिनांक	
	13/8/24 पत्रावली [illegible] आज बार एसोसियेशन [illegible] [illegible] अनुसार [illegible] 25-11-24 को पेश हो।
	पत्रावली पेश ... [illegible] उपस्थिति पत्र ... [illegible] वास्ते ....[illegible]........ .... दिनांक ....||....|24 को पेश हो।
	11/12/24 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक.....................3-1-25..को पेश हो।
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील हाजिर नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील अनुपस्थित। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। [illegible] 209/21 दावा [illegible] व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested

मु० नम्बर.............किस्म...................   ....उनवान...

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
11/12/24	पत्रावली पेश हुई सायल उपस्थित, पत्रावली हुक्मानुसार वास्ते ....जवाब व रिपोर्ट तलब.... दिनांक ....11/12/24.... को पेश हो।
11/12/24	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली हुक्मानुसार दिनांक....3-1-25.... को पेश हो।
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उपस्थित नहीं। प्रकरण में उपस्थित सायल वकील को आवाज दिलवायी। आवाज दिलवाने के बावजूद सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायल व सायल वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं [illegible] मु० नं० 18/21 खारिज अदम पैरवी में किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested

मु० नम्बर.............. किस्म...................... ....उनवान..........

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। कार्य स्थगित होने द्वारा वार्ता व बहिष्कार रखे जाने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-1-25 को पेश हो।
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उप. नहीं। प्रकरण में बार-बार सायल व सायल वकील को आवाज दिलवाई गई। आवाज दिलवाने के बावजूद सायल व सायल वकील उप. नहीं। जिससे जाहिर है कि सायल व सायल वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं रखते हैं। अतः मु.नं. 22/21 किशनवती (212) प्रकरण किशनसिंह बनाम राजेन्द्र अदम पैरवी व मद्धा अरजी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested